संख्या- 263 / 2025 / 1975 / चार-2025-1929449

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
छतर मंजिल परिसर, एम0जी0 रोड,
कैसरबाग, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2025**

विषय:- **राज्य संरक्षित उत्खनन पुरास्थल बनरसिंहा कला एवं खुर्द, महाराजगंज** पर वृहद अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 552/प्रथम-79 वृहद अनु0 (34)/2025, दिनांक 25 जून, 2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02 जून, 2025 को सम्पन्न अप्रेजल समिति की बैठक में **पुरास्थल बनरसिंहा कला एवं खुर्द, महाराजगंज** पर वृहद अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु रू0 151.33 लाख की संस्तुति प्रदान की गई है। शासन के पत्र संख्या- 1758/चार-2025-1927234 दिनांक 30 जून, 2025 द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना में प्रश्नगत कार्य सम्मिलित/ अनुमोदित है। इसके अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या- 1508/चार-2025- 1929449 दिनांक 30 मई, 2025 द्वारा प्रश्नगत वृहद अनुरक्षण कार्य विभागीय स्तर (उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय) पर कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार **राज्य संरक्षित स्मारक उत्खनन पुरास्थल बनरसिंहा कला एवं खुर्द, महाराजगंज** पर वृहद अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु **रू0 151.33 लाख (रू0 एक करोड़ इक्यावन लाख तैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय** एवं **वित्तीय स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) राज्य संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण का कार्य विषय विशेषज्ञों एवं उनके अधीन कार्य करने वाली तकनीकी टीम द्वारा कराया जायेगा जिससे प्राचीन भवन सामग्रियों का उपयोग कर जीर्ण -शीर्ण भवनों के मूल आर्किटेक्चर को स्थापित किया जा सके जिसकी डिजाइन हैरिटेज कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट से बनाना अनिवार्य होगा। निदेशक, पुरातत्व द्वारा स्वयं इस कार्य को ASI के पैटर्न पर कराया जायेगा। गुणवत्ता में अधोमानक पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी पुरातत्व निदेशालय की होगी।

(3) पुरातत्व निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा के परीक्षणोपरान्त/ टेण्डर के आधार पर परियोजना की संशोधित लागत से शासन को प्राथमिकता पर अवगत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(5) पुरातत्व निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व पुरातत्व निदेशालय का होगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(9) प्रश्नगत स्वीकृति पुरातत्व निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व पुरातत्व निदेशालय का होगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, भौतिक/ वित्तीय प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे भी शासन को उपलब्ध कराये जाएंगे।

(11) प्रदान की गयी वित्तीय स्वीकृति का सम्पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 04-कला तथा संस्कृति, 106-संग्रहालय, 17-उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित विभिन्न स्मारकों / पुरास्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं स्थलीय विकास का कार्य व स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचनापट्ट की स्थापना- 24-वृहत् निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 263 /2025 / 1975 (1)/चार-2025-1929449 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, महाराजगंज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in